भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अन्न का सड़ना

*104. **सुश्री सुशीला तिरिया** : ††

श्री मोती लाल वोरा:

क्या **उपभोक्ता मामले**, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005 से सितम्बर, 2008 के मध्य भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में अनाज सड़ गया;

(ख) सड़े हुए अनाज का बाजार मूल्य क्या था और इसे हटाने के लिए कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी;

(ग) अनाज सड़ने के कारण क्या थे और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भविष्य में अनाज न सड़े, इसके लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार)**: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) 2005 से सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान परिरक्षण के अभाव में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कोई खाद्यान्न नहीं सड़े हैं। तथापि, 2005 से सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 2.49 लाख टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए हैं। खाद्यान्न चक्रवात और बाढ़ जैसे विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा कुछ मात्रा विनिर्दिष्टियों से नीचे के स्टाक को स्वीकार करने और अन्य क्षेत्रों को ढुलाई की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है। 2005 से सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए गए कुल खाद्यान्नों में से क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा 0.09% बैठती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(i) भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है और वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियां अपना कर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(ii) भंडारित गोदामों में पर्याप्त डनेज सामग्री, प्रधुमन कवर और रसायन प्रदान किए जाने होते हैं।

(iii) भंडारित अनाज में कीट जन्तुबाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से और समय से रोग निरोधी और रोगहर उपचार किए जाने होते हैं।

(iv) ऊंचे प्लिंथों पर 'कवर और प्लिंथ' भंडारण में खाद्यान्नों का भंडारण किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी की क्रेटें उपयोग की जाती हैं। चट्टों को कम घनत्व वाली काली पॉलीथिन से विशेष रूप से बने वाटर प्रूफ कवरों से उचित रूप से ढका जाना चाहिए और नायलॉन की रस्सियों/जालों से बांधा जाना चाहिए।

(v) भारतीय खाद्य निगम के योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाना होता है।

(vi) यथा संभव सीमा तक 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धान्त को अपनाया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

---

††सभा में यह प्रश्न सुश्री सुशीला तिरिया द्वारा पूछा गया।

(vii) खाघान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगनों का उपयोग किया जाना होता है ताकि ढुलाई के दौरान क्षति से बचा जा सके।

Rottening of grains in FCI godowns

†104. MS. SUSHILA TIRIYA: ††
SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the quantity of grains rotted in the godowns of Food Corporation of India during the period 2005 to September, 2008;

(b) the market price of the rotted grains together with the amount that had to be spent to lift the same;

(c) the reasons for the rottening of grains, alongwith the names of the officers found responsible for it; and

(d) the steps taken to ensure non-rottening of grains in the godowns of Food Corporation of India in future?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) No foodgrains had got rotten in the godowns of FCI due to lack of preservation during the period from 2005 to September, 2008. However, about 2.49 lakh tons of foodgrains with the FCI in the Central Pool were damaged during the period from 2005 to September, 2008. The foodgrains were damaged due to various reasons, such as, cyclones and floods, and some quantities due to acceptance of below specifications stocks and movement to other regions. The quantity of foodgrains damaged works out to 0.09% approximately of the total foodgrains handled by FCI during the period from 2005 to September, 2008.

(d) The following steps are taken to ensure safe storage of foodgrains in the godowns of Food Corporation of India:

(i) All FCI godowns to be constructed as per specifications and foodgrains stored by adopting scientific storage practices.

(ii) The adequate dunnage materials, fumigation covers and chemicals to be provided in all the godowns.

(iii) Prophylactic and curative treatments to be carried out regularly and timely for the control of stored grain insect pests.

(iv) Foodgrains in 'Cover and Plinth' (CAP) storage to be stored on elevated plinths and wooden crates used as dunnage material. Stacks should be properly covered with specifically fabricated low-density black polythene water proof covers and tied with nylon ropes/nets.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

(v) Regular periodic inspections of the stocks/godowns are to be undertaken by qualified and trained staff of FCI.

(vi) The principle of "First in First Out" (FIFO) is to be adopted to the extent possible so as to avoid longer storage of foodgrain in godowns.

(vii) Only covered wagons are to be used for movement of foodgrains so as to avoid damages during transit.

सुश्री सुशीला तिरिया: सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारे FCI गोदामों में जो खाद्यान्न का भंडारण किया जा रहा है, वह वैज्ञानिक रूप से किया जा रहा है और First in First Out की नीति का अवलम्बन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 2.49 लाख टन खाद्यान्न पिछले दिनों क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष में 63 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे भूखे सोते हैं और FCI गोदामों में इस तरह से खाद्यान्न का क्षतिग्रस्त होना क्या ठीक है। जब First in First Out नीति के तहत भी खाद्यान्न का भंडारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपके मंत्रालय के किसी ऑफिसर किसी मैनेजमेंट का भी दोष है। मैं जानना चाहती हूं कि इसमें आपके डिपार्टमेंट के कितने लोगों को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ आपके मंत्रालय ने क्या कार्रवाही की है?

श्री शरद पवार: महोदय, जो यहां पर समय बताया गया है कि 2005 से सितम्बर, 2008 तक कितना नुकसान हुआ है ...(**व्यवधान**)...

SHRI K. B. SHANAPPA: Sir, you don't want me to ask a supplementary!

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. I will explain the position to the hon. Member. ...*(Interruptions)*... I am afraid this interruption is unjustified. ...*(Interruptions)*... I request the hon. Member to familiarise himself with the procedure of this House.

SHRI K. B. SHANAPPA: But you have to protect us.

MR. CHAIRMAN: Three questions are asked as supplementaries. They have to be rotated around the Chamber. Your turn will come. But you cannot demand any priority in the matter.

SHRI K. B. SHANAPPA: The question pertains to my State of Karnataka.

MR. CHAIRMAN: It may, that is not the question. ...*(Interruptions)*... Please resume your place. ....*(Interruptions)*... Please. Do not interrupt. Let the answer proceed.

SHRI K. B. SHANAPPA: But I am not interrupting.

MR. CHAIRMAN: But you are.

SHRI K. B. SHANAPPA: I wanted to ask one supplementary.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Your turn on supplementaries will come. ...*(Interruptions)*... Please proceed, Sir.

SHRI SHARAD PAWAR: What I was trying to say was that from 2007 to 2008, the total quantity of foodgrains that have been stored or handled by the FCI was 2782 lakh metric tonnes. So, when an organisation handles 2782 lakh metric tonnes of foodgrains in the whole year, a loss of 2.49 lakh tonnes is just 0.009 per cent, not even 0.10 per cent. This very small quantity of damage is there. I have given the details in my reply of the steps that the FCI has been taking.

The second question was regarding the action that has been taken against the officers and the staff. In 2005, action was taken against 1026 officers, in 2006, action was taken against 569 officers and staff. In 2007, action was taken against 288 officers and staff. In 2008, action was taken against 174 officers and staff, if you look at the nature of the action taken, you will find that there are some cases of dismissal or removal or compulsory retirement. There are some cases of reduction in rank. There are some cases of reduction in the Time-Scale of pay. There are some cases of withholding of the increment and there are some cases of recoveries from the pay. There are some cases of withholding of promotions. So, enough action has also been taken against those who are responsible for these neglects.

सुश्री सुशीला तिरिया: सर, मेरा सैकिण्ड सप्लीमेंट्री है कि क्या उड़ीसा जैसे ट्रायबल स्टेट में, जो कि थिकली पॉप्युलेटिड नहीं है, जहां दूर-दूर के गांव में ट्रायबल लोग रहते हैं, वहां आसपास कोई एफ.सी.आई गोडाउन नहीं होता है, वे मिडल मैन और ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या मंत्री जी के पास इस तरह की कोई सोच और विचार है कि ट्रायबल स्कैटर्ड इलाके में, हिलि क्षेत्र में सुविधा से वंचित लोगों को खाद्यान्न देने का प्रावधान करने के लिए उड़ीसा में नया एफ.सी.आई. गोडाउन खोले? मेरा यह कहना है कि कुछ क्षेत्रों में एफ.सी.आई. से भी खाद्यान्न डिसअपियर्ड होता है। लोगों को कम्पलेंट है कि उन्हें तीन महीने तक नहीं मिलता है। क्या उड़ीसा की इस तरह की कोई रिपोर्ट आपके पास है कि एफ.सी.आई. से भी खाद्यान्न डिसअपियर्ड हुआ है?

MR. CHAIRMAN: Your questions are over. ...*(Interruptions)*... You have already put two supplementaries. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार: भारत सरकार और एफ.सी.आई. की तरफ से हर राज्य में, राज्य सरकार जो कहती है, उस सेंट्रलाइज क्षेत्र में सप्लाई करने की जिम्मेदारी एफ.सी.आई. लेती है। एक बार स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई करने की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वह डिस्ट्रिक्ट, तहसील या नीचे गांव या आखिरी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के स्टोर में माल देने की, रखने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। माननीया सदस्या ने जो सवाल पूछा है, किसी स्पेसिफिक एरिया में गोडाउन की कमी हो और इससे लोगों को दिक्कत आती हो इसकी इन्फॉर्मेशन दी हो या उन्होंने हमें लिखा हो तो हम इसकी जांच कर सकते हैं, एग्ज़ामिन कर सकते हैं और आवश्यकता हो तो डायरेक्ट एफ.सी.आई. गोडाउन नहीं बनाएंगे, मगर किसी को गोडाउन का बंदोबस्त करने के लिए जरूर सुनिश्चित करेंगे।

सुश्री सुशीला तिरिया: सर, उड़ीसा ...(**व्यवधान**)... के एक ...(**व्यवधान**)... डिस्ट्रिक्ट में एक ही एफ.सी.आई. ...(**व्यवधान**)... जहां पर रिक्वायरमेंट है ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी काइंडली नोटिस इट ...(**व्यवधान**)...

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष भारतीय खाद्य निगम कितनी धनराशि खर्च करता है? माननीय मंत्री जी ने 2005 से 2008 तक की जो जानकारी दी है, उसमें उन्होंने इतना कह दिया कि 27 लाख, कुछ हजार मीट्रिक टन का भंडारण हुआ था और उसमें जो अनाज क्षतिग्रस्त हुआ, वह मात्र 009% था। माननीय मंत्री जी किसी एक वर्ष का आंकड़ा तो इसमें नहीं है, तीन वर्ष के आंकड़ों में आपने इस बात की जानकारी दी है कि बहुत ही निग्नेजिबल बहुत ही कम से कम अनाज का नुकसान भंडारण में हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के रखाव के लिए, उन्हें रखने के लिए हम हर वर्ष कितनी धनराशि खर्च करते हैं? माननीय सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि जो अनाज सड़ जाता है उसे हटाने के लिए हम हर वर्ष कितनी धनराशि खर्च करते हैं? सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि हमारे यहां पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जगह नहीं रहती है और अनाज बाहर पड़ा रहता है। यह अच्छी बात है कि उत्पादन अच्छा हुआ है, उत्पादन अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या यह जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की नहीं है कि वर्ष में अनाज के आने के पहले उसके गोदामों की समुचित व्यवस्था करे, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री शरद पवार: सभापति जी, जो पहला सवाल यहां पूछा गया है, मैंने यहां जो फिगर बताई, 2,782 लाख मीट्रिक टन, यह कुल मिलाकर चार साल का स्टॉक है। क्योंकि सवाल चार साल के लिए पूछा गया है, इसलिए यह 2005, 06, 07, 08 का है। उनको जो हर साल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वह मुझे देने में दिक्कत नहीं है। 2005-2006 में total quantity of foodgrains handled by the FCI in lakh tonnes was 846; 2006-07, 726; 2007-08, 750; and in 2008-09, up to September, 2008, it is 452. मिलाकर 2,780 है। हर साल की फिगर मैंने आपके सामने रखी है। नुकसान क्या हुआ है, वह भी बताया है। रिप्लाई में यह बात साफ हुई है कि No foodgrains had got rotten in the godowns of the FCI, वहां पर यह रॉटन हुआ, ऐसी स्थिति नहीं है। यह बात सच है, जिसका जवाब रिप्लाई में भी दिया है कि The foodgrains were damaged due to various reasons such as cyclone, floods and some quantities due to acceptance of the below specification stocks and movement to the other region. इससे खराब होता है, यह बात सच है, मगर यह रॉटन नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब unfit for human consumption का दाखिला हमें मिलता है, तब इसको ऑक्शन से सेल करने का एक तरीका है। इसमें दो रास्ते हैं। एक तो गवर्नमेंट का एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट, कभी-कभी, चाहे पॉल्ट्री फीड या अन्य कामों के लिए मांग करता है तो हम स्टेट गवर्नमेंट के एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट को प्रॉयोरिटी देते हैं और जो इस पर प्रेस्क्राइब प्राइस है, उस पर उन्हें एलोकेट करते हैं। यदि स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं मांगा तो ओपन टेंडर के सिस्टम से यह माल बेचते हैं। यहां बेचने के लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रॉटन माल को डिस्पोज करने के लिए खर्च करने की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश मात्रा में अनाज बाहर पड़ा रहता है, जिस पर तारपुलिन डाला जाती है। मैंने यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था। मैं किसी एक स्थान की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बात करता हूं कि वहां के गोदामों में जगह नहीं है और अनाज बाहर पड़ा रहता है, इसकी आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, मैं इसी को सप्लीमेंट करना चाहता हूं। मोती लाल वोरा जी का जवाब भी साथ ही आ जाएगा। आपने जो सवाल किया है, उसी के बारे में कहना चाहता हूं ताकि साथ जवाब आ जाए।

श्री सभापति: ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडारण व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खरीदा गया अनाज पूरी तरह से भंडारीकृत कर दिया गया था? क्या यह सरकार कहने की स्थिति में है? माननीय वोरा जी ने बताया कि बहुत सा अनाज बाहर पड़ा हुआ मौसम की मार खा रहा है। 2008 में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में किस-किस अनाज का कितना-कितना स्टॉक था, कितने समर्थन मूल्य पर कितना खरीदा गया था और क्या इसके भंडारण की व्यवस्था कर दी गई है? मैं यह पूछना चाहता हूं वरना वह माल फिर से मौसम की मार खाएगा। मैं वोरा जी के क्वेश्चन को सप्लीमेंट करना चाहता हूं, आप दोनों का उत्तर साथ देने की कृपा करें?

श्री शरद पवार: कितने समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, यह प्रश्न है। भारत सरकार जो व्हीट एंड राइस किसानों से खरीदती है, वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर और कभी-कभी इसके साथ कुछ बोनस भी देती है। जैसे इस साल पेडी के लिए बोनस दिया है। इस कीमत पर ही पूरी खरीद करते हैं। एम.एस.पी. के नीचे एफ.सी.आई. स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जिसका हम सहयोग लेते हैं, वह कभी भी काटती नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की पूरी जिम्मेदारी एफ.सी.आई. की है और इस पर अमल होता है। नंबर दो, इस पर खर्च कितना होता है, यह सवाल पूछा है, हर गोदाम की मेंटेनेंस और बाकी स्टोरेज चार्जस क्या है, इसके खर्च के बारे में जब मुझे नोटिस मिलेगा, मैं यह इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय सदस्य को कलेक्ट करके भेजने के लिए भी

तैयार हूं। यह फिगर मेरे पास आज नहीं है। जो तीसरा सवाल यहां पूछा गया है, क्या यह सच है कि कभी-कभी गोडाउन के बाहर भी माल रखते हैं, यह बात बिल्कुल सच है कि जब बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट शुरू होता है, तब गोडाउन भर जाए तो टेम्पररी कुछ व्यवस्था बाहर करनी पड़ती है। जब रेलवे से मूवमेंट करने की जिम्मेदारी आती है, तब हमारे गोडाउन से रेलवे स्टेशन पर जब शिफ्ट करते हैं तो वहां वैगन्स तुरंत अवेलेबल होते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कि कभी-कभी वहां भी बाहर रखने की स्थिति पड़ जाती है। इसमें कभी नुकसान नहीं हुआ है। परंतु कभी नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जब कभी-कभी बारिश आ गई या मौसम खराब हो गया तो नुकसान भी जरूर होता है। मगर आज एफ.सी.आई. के पास गोडाउन्स की जो पूरी रिक्वायरमेंट है, वह नहीं है। इसलिए एफ.सी.आई. ने एक स्कीम बनायी है। उसमें एक तो हम स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की मदद लेते हैं। दो, सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की मदद लेते हैं और तीन, इससे पहले एफ.सी.आई. की एक योजना थी कि लोग वहां इनवेस्टमेंट करने के लिए आगे आते हैं और अपना godown बनाते हैं तो 7 साल तक इस godown का इस्तेमाल एफ. सी. आई. करेगी। इस तरह से उनके साथ agreement कर के नए godown बनाने के लिए एक तरह का incentive देने का काम आज तक अपने देश में चालू था। आज जिन राज्यों में godowns की कमी है वहां हम इस कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन जहां godowns उपलब्ध हैं, वहां नए godowns बनाने की आवश्यकता नहीं है।

DR. K. MALAISAMY: Sir, the Food Corporation of India has been in existence for decades. Similarly, natural calamities like floods, cyclone, drought, etc., have been in existence for decades and decades. So, these kinds of occurrences had been taking place for the last several decades. In such a situation, the damage of foodgrains would have occurred on earlier occasions also. You could have learnt a lot of lessons and you might have taken several steps. In the light of this, I would like to know from the hon. Minister when did he actually take the steps that he has mentioned in his reply. If he has taken such steps only recently, why did the Ministry not take them earlier?

My second part of the question is...

MR. CHAIRMAN: Only one question, please.

DR. K. MALAISAMY: Sir, this is second part of the question.

I would like to know from the hon. Minister whether the steps that have been taken are foolproof, adequate and effective so that these kinds of damages will never occur in future at all.

SHRI SHARAD PAWAR: As I have already said, the total approach of the FCI is to protect each and every grain. But, sometimes, when there is more procurement or, sometime, when we have to shift suddenly, or, sometimes, when the availability of trucks or rakes are not available, in such a situation, if there is rain or cyclone or any other thing, there is a possibility of some damage. If you look at the figure of the damage and the total foodgrains handled by the FCI, the damage percentage is minimal. All actions suggested in reply to (d) part of the Question are taken on regular basis with regard to all godowns. Sir, unless and until we check these actions on a regular basis, it is not possible to protect such a huge quantity of foodgrains. That is why, if you see the total percentage of damages, year-wise, for the last five years, it is going down and the FCI is trying its best to protect the foodgrains which are very important for people.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, in the first sentence of the reply, the hon. Minister says, There was no incidence of rotting of foodgrains.' In the second part he says, 'However, there was some damage because of the storms, cyclones, etc.' I don't see the difference between rotting and

foodgrains getting damaged by cyclones and floods. But the question that I would like to ask the hon. Minister is: Is there a separate arrangement in the FCI system for keeping the Central Pool foodgrains separately? I am asking this as he is making a distinction between the normal storage of foodgrains and the Central Pool storage of foodgrains, Are the two systems parallel or separate?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, firstly, I reply to the point regarding the damages. When it comes to the question of rotten, it means, it is totally useless. Sometimes what happen is, when we transport foodgrains from one place to another by truck and, suppose, there is rain, it is possible that foodgrains become discoloured. Sometimes, we have to procure or buy foodgrains due to demands and insistence from farmers that the Government has to buy even though they are a little below the prescribed norms. They become discolour. So, that type of damages is very much there. But, they are not rotten.

Second question has been asked about the system. We keep two types of stocks; now, three. The first one is, stock has to be kept for regular distribution to the PDS. Secondly, we keep foodgrains as ' buffer stock for emergency. Recently, from this year, we have also started keeping a strategic reserve because we have seen, two years back, we had to import some foodgrains. We don't want to see that type of a situation and, that is the reason, other than buffer stock, a new concept of strategic reserve has also been started from this year. We are taking extra care for these stocks.

Health scenario in the country

*105. DR. GYAN PRAKASH PILANIA:

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI:††

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the details of programmes being implemented under the National Rural Health Mission in the country;

(b) the targets fixed for 2007-08 and the achievements thereof, alongwith the details in respect of Rajasthan;

(c) the status of health scenario in the country, programme-wise and where Rajasthan stands in this regard; and

(d) in what manner various national parameters of rural health in the country compare with the developing and developed countries?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) National Rural Health Mission (NRHM) is a strategy to bring about architectural correction in the public health sector for the entire country with special focus on the States of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Orissa, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram and Sikkim. The main aim of NRHM is to provide accessible, affordable, accountable, effective and reliable primary health care facilities, especially, to the poor and vulnerable sections of the population.

The NRHM envisages improvements in range and quality of hospital care, decentralization of programme to district level to improve intra and inter-sectoral convergence and effective utilization of

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lalit Kishore Chaturvedi.